बैंक के इच्छुक सेवानिवृत्त अधिकारियों को समवर्ती लेखा परीक्षण/नॉन कोर बिजनेस (बी.सी. सुपरवाईजर/एन.पी.ए. सुपरवाईजर/फैकल्टी मेम्बर) हेतु सूचीबद्ध करने विषयक

समवर्ती लेखा परीक्षण/नॉन कोर बिजनेस (बी.सी. सुपरवाईजर/एन.पी.ए. सुपरवाईजर/ फैकल्टी मेम्बर) कार्य के लिये छत्तीसगढ़ ग्रामीण बैंक/अन्य बैंकों से सेवानिवृत्त हुये अधिकारियों से आवेदन आमंत्रित है। आवेदन के लिये पात्रता मापदंड निम्नानुसार है–

1) सेवानिवृत्त ऐसे बैंक अधिकारी वर्ग II या उससे ऊपर के वर्ग से सेवानिवृत्त जो कि छत्तीसगढ़ ग्रामीण बैंक अथवा अन्य किसी बैंक से विज्ञापन की तारीख अथवा उससे पहले अधिविकर्षता की आयु (60 वर्ष) पूर्ण कर सेवानिवृत्त हो चुके है एवं विज्ञापन की तारीख को उनकी आयु 64 वर्ष से अधिक न हो।
2) प्रशिक्षण संस्थान में प्रशिक्षक के पद पर कार्य करने हेतु इच्छुक सेवानिवृत्त सेवायुक्तों को बैंकिंग संस्थान में न्यूनतम एक वर्ष का नियमित प्रशिक्षण/अध्यापन कार्य का अनुभव होना आवश्यक है।
3) अधिकारी जिन्होंने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति, त्यागपत्र जैसे कारणों से अधिविकर्षिता की आयु पूर्ण करने से पूर्व ही सेवात्याग किया है, वे अधिकारी इस योजना हेतु पात्र नही होंगे।
4) अधिकारी के सेवानिवृत्ति से पूर्व उनके विरुद्ध किसी भी प्रकार का दण्डादेश जारी न किया गया हो, अधिकारी की सत्यनिष्ठा संदिग्ध न हो एवं अधिकारी के विरुद्ध सीबीआई या अन्य किसी जांच एजेंसी में कोई भी मामले लंबित न हो।
5) सेवानिवृत्त अधिकारी का स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिये (किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित न हो) एवं यात्रा आदि में सहज समर्थ हो।
6) गोपनीयता संबंधी षपथ पत्र एवं प्राप्त सूचनाओं का अन्य किसी प्रकार से प्रयोग न करने/लीक न करने का षपथ पत्र देना होगा ताकि बैंक व्यवसाय पर कोई प्रतिकूल असर न पड़े।

नियम एवं शर्तें

- सूचीबद्ध अधिकारियों को 1 वर्ष की अवधि हेतु सूचीबद्ध किया जायेगा।
- प्रशिक्षण संस्थान में अधिकारियों का चयन प्रशिक्षक सह समवर्ती लेखा परीक्षक के पद पर होगा (प्रशिक्षक के साथ कॉर्पोरेट कार्यालय के अंकेक्षण विभाग का कार्य भी आबंटित किया जावेगा)।
- सूचीबद्ध अधिकारियों के कार्यों का मूल्यांकन पदस्थी कार्यालय एवं संबंधित विभाग द्वारा तिमाही आधार पर किया जावेगा एवं किसी अधिकारी का कार्य निष्पादन संतोषप्रद नही पाये जाने पर उसकी सूचना अनुसंशा के साथ मानव संसाधन विभाग को प्रेषित की जावेगी। तदनुसार सेवायुक्त को लिखित में सूचना देकर सेवा समाप्त / अनुबंध से पृथक कर दिया जावेगा।
- सूचीबद्ध सेवानिवृत्त अधिकारी स्वेच्छा से भी स्वयं को अनुबंध से पृथक कर सकते हैं, इस हेतु उन्हें एक महीने पूर्व नोटिस देना अनिवार्य होगा, नोटिस अवधि अथवा पूर्वसूचना के बिना अनुबंध से पृथक होने की स्थिति में सुरक्षा राशि (सावधि जमा) वापस नहीं की जावेगी।

- बैंक द्वारा सूचीबद्ध सेवानिवृत्त अधिकारियों को एक माह पूर्व सूचना देकर उन्हें अनुबंध से पृथक किया जा सकता है।
- सेवानिवृत्त अधिकारी को नियोजन हेतु वचन पत्र/षपथ पत्र देना होगा। इसमें गोपनीयता एवं बैंक हित संरक्षण संबंधी, निकट संबंधियों की जानकारी आदि के प्रावधान भी होंगे।
- सेवानिवृत्त अधिकारियों से अंतिम चयन पश्चात् स्टाम्प शुल्क के साथ Engagement Agreement निष्पादित कराया जायेगा एवं **रु 25000/-** की सावधि जमा, सुरक्षा निधि स्वरुप छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक के पक्ष में (A/c of candidate) न्यूनतम **एक वर्ष** की अवधि हेतु प्राप्त किया जावेगा ।

<u>वेतन एवं भत्ते</u>

- सूचीबद्ध सेवायुक्तो को दैनिक आधार पर मानदेय भुगतान किया जावेगा अर्थात जितने कार्यदिवस में सेवायुक्त द्वारा कार्य किया जावेगा, उतने कार्य दिवस का ही भुगतान किया जावेगा।

  मानदेय का विवरण निम्नानुसार है.

क्र.	सेवानिवृत्त अधिकारी	मानदेय (प्रतिदिन)
1	अधिकारी वर्ग–II & III	1800/-
2	अधिकारी वर्ग–IV	2000/-
3	अधिकारी वर्ग–V	2500/-

- सेवानिवृत्त अधिकारियों के द्वारा शाखा भ्रमण एकमुश्त राशि का भुगतान उनके द्वारा तय की गयी दूरी (आना–जाना) के आधार पर किया जावेगा ।

  विवरण निम्नानुसार है

क्र	दूरी (आना–जाना सहित)	राशि (रुपये)
1	0-50 km	300/-
2	51-100 km	600/-
3	101-150 km	900/-
4	151-200 km	1200/-
5	Above 200 km	1500/-

- Lodging Allowance– सूचीबद्ध सेवानिवृत्त सेवायुक्त जिस स्केल से सेवानिवृत्त हुए हैं, उस स्केल के लिए वर्तमान में Lodging Allowance की दर (सक्षम अधिकारी की पूर्वानुमति अधीन) से देय होगा जो कि निम्नानुसार है
(इस हेतु सेवायुक्त को हॅाटल एवं लॅाज का देयक प्रस्तुत करना होगा)

क्र.	सेवानिवृत्त अधिकारी	लॅाजिंग भत्ता (GST अतिरिक्त)
1	अधिकारी वर्ग–II & III	2200/–
2	अधिकारी वर्ग- IV & V	2400/–

सूचीबद्ध अधिकारियों के कार्य निष्पादन की सतत समीक्षा की जावेगी। निर्धारित समय पर प्रतिवेदन प्रस्तुत न करने/प्रस्तुत प्रतिवेदन वांछित गुणवत्ता युक्त न पाए जाने पर उन अधिकारियों को भविष्य में कार्य नहीं सौंपे जायेंगे।
सूची में षामिल हो जाने मात्र से सेवानिवृत्त अधिकारी काम पाने का अधिकारी नहीं होगा। कार्य का आबंटन बैंक के विवेक पर निर्भर होगा।
सेवानिवृत्त अधिकारी अपने देयक संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय में प्रस्तुत करेंगे। क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा देयक की जांच कर पात्रतानुसार राषि व्यय खाते को नामें कर संबंधित अधिकारी के खाते में जमा की जायेगी। इसमें नियमानुसार आयकर की कटौती की जायेगी। क्षेत्रीय कार्यालय नियंत्रण हेतु मासिक रिपोर्ट प्रधान कार्यालय प्रेषित करेंगे।

अन्य शर्तें

1) सूचीबद्ध अधिकारी बैंक के चिन्ह, बैंक की नाम पट्टिका, बैंक का विजिटिंग कार्ड, बैंक का लेटर पैड एवं बैंक के स्टेषनरी का उपयोग नही कर सकेंगे।
2) यद्यपि सूचीबद्ध अधिकारी की, बैंक के कंप्यूटर सिस्टम, कोर बैंकिंग प्लेटफार्म तक पहुंच नही होगी। तथापि वे षाखा प्रबंधक के सहयोग से अंकेक्षण हेतु आवष्यक विवरण प्राप्त कर सकेंगे ।
3) अधिकारियों के नाम सूचीबद्ध करने का कार्य पूर्णतः अस्थाई कार्य है। इसे किसी न्यायालय में चुनौती नही दी जा सकेगी। विवाद की स्थिति में बैंक का निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा ।

सेवानिवृत्त अधिकारियों को अपना आवेदन (संलग्न प्रारूप में) अपने फोटोग्राफ, डाक का पता, मोबाईल/लैंडलाईन नंबर और ई–मेल पता के साथ दिनांक **08/07/2026**, सायं **5:30 pm** तक जमा करना होगा। उक्त तिथि के पष्चात प्राप्त होने वाले आवेदन को स्वीकार नही किये जायेगें।

पत्राचार का पता निम्नानुसार है :–

महाप्रबंधक (प्रषासन)
छत्तीसगढ़ ग्रामीण बैंक,
कॉर्पोरेट कार्यालय रायपुर,
सेक्टर–24,अटल नगर,
नवा रायपुर(छ.ग.)
दूरभाष नं.– 07712288113
ई–मेल आईडी – hr.ho@cgb.bank.in,